प्रेषक,

इच्छाराम,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2021

विषय- वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4375/अ0सं0क0नि0/शादीअनु0/2020-21, दिनांक 16.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रू०5000/-लाख के सापेक्ष धनराशि रू० 2500/- लाख 05 किश्तों में शासनादेश संख्या-03/2020/05/52-4-2020-1(बजट)/2018, दिनांक 15.03.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि जारी की गयी तथा **माह-मार्च में तृतीय किश्त** के रूप में रू० 5,00,00,000/- (रू० पांच करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी शर्तो/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तो/प्राविधानों तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(2) एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनावंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इस अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किन्ही नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समपर्ण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(4) अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत प्रचलित नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधान/दिशा-निर्देशों तथा समय समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभार्थी को सहायता प्रदान की जायेगी। प्रश्नगत प्रावधानों से विचलन/अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(6) इस सम्बन्ध में समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए अग्रतर निर्देश आपके स्तर से जारी किये जायेगें।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि को किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1941/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.06.2016, संख्या-2021/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.07.2016, एवं संख्या-08/52- 4-16-सा (35)/2016, दिनांक 25.01.2018, में निर्गत दिशा- निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 04 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र माह मार्च, 2020 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के क्रमश: शासनादेश सं०-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सं०-5/2020-बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, सं०-6/2020-बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020, सं०-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020, सं०-8/2020/बी-1-429/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 एवं सं०-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी समस्त दिशा निर्देशों (SOP's) का पालन किया जायेगा।

5- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या- 5/2021/96(1)/52-4-2021तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in